भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1073
10 फरवरी, 2023 को उत्तर देने के लिए

कोल्ड चेन क्षमता का विकास करना

1073. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के आधार पर कोल्ड चेन क्षमता विकसित करने की कोई योजना प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों में सरकार द्वारा हरियाणा में कोल्ड चेन क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार द्वारा कोल्ड चेन सिस्टम को संचालित करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु कोई योजना चलाई जा रही है; और

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितने युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): वर्ष 2008 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में कोल्ड चेन अवसंरचना के विकास में सहायता हेतु "एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना (सीसीआई)" नामक एक योजना लागू कर रहा है। वर्तमान में यह प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) की उप-योजना है और मांग आधारित है, जिसमें मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता और मूल्यांकन मानदंड के अनुसार योग्य पाए गए प्रस्तावों में से योग्यता के आधार पर मंत्रालय द्वारा अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है।

एमओएफपीआई ने अब तक विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 376 ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी परियोजना लागत रु.10713.13 करोड़, स्वीकृत सहायता अनुदान रु. 2848.39 करोड़, 152.18 लाख मीट्रिक टन/वर्ष की प्रसंस्करण क्षमता और 31.51 लाख मीट्रिक टन/वर्ष की परिरक्षण क्षमता है।

(ग) और (घ): स्वीकृत 376 परियोजनाओं में से 19 हरियाणा में स्थित हैं, जिनकी परियोजना लागत रु. 536.40 करोड़, स्वीकृत सहायता अनुदान, 140.28 करोड़, 6.39 लाख मीट्रिक टन की प्रसंस्करण क्षमता और 1.66 लाख एमटी/सालाना की परिरक्षण सुविधा है।

(ङ) और (च): एमओएफपीआई प्रचालन शीत श्रृंखला प्रणाली पर प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना लागू नहीं कर रही है। हालांकि, क्षेत्र कौशल परिषद, अर्थात् एफआईसीएसआई
(खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार प्रशिक्षण का विवरण, कोल्ड स्टोरेज तकनीशियन (सीएसटी), परिरक्षण तकनीशियन (पीटी), और स्टोर सहायक-खाद्य निर्माण सुविधा (एसए-एफएमएफ) के लिए कार्य योगदान के संबंध में निम्नानुसारहै:

वर्ष	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (कार्य योगदान)	कुल नामांकित	कुल पास और प्रमाणित
2019 - 20	जम्मू और कश्मीर (सीएसटी)	1869	1655
	ओडिशा (सीएसटी)	357	357
2020 - 21	जम्मू और कश्मीर (सीएसटी)	1130	707
	राजस्थान (सीएसटी)	95	95
2022 - 23	महाराष्ट्र (पीटी)	35	32
	मणिपुर (पीटी)	4	4
	उत्तर प्रदेश (एसए – एफएमएफ)	99	73
	कुल	**3589**	**2923**

*****